छत्तीसगढ़ सूचना आयोग
शंकर नगर, रायपुर

अपील प्रकरण क्रमांक 123/2006

श्री जी.पी. मिश्रा, ... अपीलार्थी
निवासी–भिलाई
जिला–दुर्ग (छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

जन सूचना अधिकारी, ... प्रतिअपीलार्थी
नायब तहसीलदार, भिलाई,
जिला–दुर्ग (छत्तीसगढ़)

:: आदेश ::
(04 अगस्त 2006)

श्री जी.पी. मिश्रा के द्वारा नायब तहसीलदार, भिलाई जनसूचना अधिकारी से सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जानकारी चाही थी। जानकारी स्पष्ट अपूर्ण होने के कारण अपीलार्थी ने प्रथम अपील कलेक्टर दुर्ग को प्रस्तुत की। कलेक्टर के द्वारा निर्धारित समयावधि में आदेश पारित न करने के कारण अपीलार्थी ने द्वितीय अपील 12.04.06 को प्रस्तुत की।

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने दिनांक 22.12.2005 को एक आवदेन पत्र सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना अधिकारी को प्रस्तुत किया था जिसका कि उत्तर उसे 27.12.05 को प्राप्त हुआ। उत्तर में जानकारी अपूर्ण रूप में दी गई। अपीलार्थी ने अपने आवेदन में उसकी भूमि के प्रथम सीमांकन एवं द्वितीय सीमांकन के बारे में जानकारी चाही थी। प्रथम सीमांकन 22.02.1993 को हुआ तथा द्वितीय सीमांकन 17.02.2003 को हुआ। उसने यह भी उल्लेख किया कि द्वितीय सीमांकन बिना उसकी जानकारी के किया गया। भूमि के क्रेता ने सीमांकन किस आधार पर कराया, यह नहीं बतलाया गया। अपीलार्थी ने कलेक्टर को अपील प्रस्तुत की। कलेक्टर ने सूचना अधिकारी से जानकारी चाही। अपीलार्थी को नायब तहसीलदार के द्वारा द्वितीय सीमांकन किये जाने के बारे में आवेदन, उससे संबंधित प्रकरण की आदेश पत्रिका, खसरे की नकल, खसरा एवं स्थल के नक्शे की नकल, सीमांकन का पंचनामा, राजस्व निरीक्षक की सीमांकन रिपोर्ट आदि की प्रतिलिपियां प्रदान की। अपीलार्थी को प्रकरण से संबंधित सभी अभिलेखों की प्रतियां नायब तहसीलदार के पत्र दिनांक 06.07.06 के द्वारा प्रदान की गई।

अपील प्रस्तुत होने पर आयोग के द्वारा सूचना अधिकारी, भिलाई को निर्धारित अवधि के अंदर पूर्ण जानकारी प्रदाय न करने के फलस्वरूप 25,000/–रूपए (पच्चीस

हजार रूपए मात्र) अर्थदण्ड क्यों न किया जावे, इसका कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। जन सूचना अधिकारी ने नोटिस के जवाब में बताया कि अपीलार्थी को सीमांकन के संबंध में जो भी जानकारी उसके द्वारा चाही गई, वह उसे उपलब्ध दस्तावेज के आधार पर दिनांक 06–07–2006 को प्रदान की गई। अपीलार्थी ने पूर्व में कलेक्टर से शिकायत की थी जिसकी जांच डिप्टी कलेक्टर धरमवीर शर्मा के द्वारा की गई थी। चूंकि अपीलार्थी द्वितीय सीमांकन को अवैधानिक बतला रहा है इसके संबंध में वैधानिक रूप से नायब तहसीलदार न्यायालय को कार्यवाही करने का अधिकार नहीं है। सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अपीलार्थी को समस्त अभिलेख की प्रतिलिपियां प्रदान कर दी गई है। अपीलार्थी ने अपने तर्क पर बतलाया कि द्वितीय सीमांकन किस आधार पर किया गया है उसकी जानकारी नहीं दी गई। नायब तहसीलदार के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी मुराती देवी के आवेदन पर वह मुराती देवी के आवेदन की प्रति दी गई। अपीलार्थी का तर्क यह है कि बिना उसे सूचना दिये सीमांकन किया गया जो कि अवैध है।

मेरे द्वारा दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्को को सुना गया तथा अभिलेखों का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी को जन सूचना अधिकारी, नायब तहसीलदार ने मामला क्रमांक 18/2002–03/क–12 के प्रकरण की संपूर्ण की प्रतिलिपि प्रदान कर दी गई है। जहां तक द्वितीय सीमांकन की वैधता का संबंध है, इसे निर्णय करने का अधिकार सक्षम न्यायालय को है सूचना आयोग का अधिकार केवल मांगी गई सूचना उपलब्ध कराने का है। चूंकि अपीलार्थी को प्रकरण से संबंधित सभी दस्तावेज की प्रतियां उपलब्ध करा दी गई है, एवं अपीलार्थी ने ऐसा कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किया जिससे स्पष्ट हो सके कि दिये गये दस्तावेज अपूर्ण हैं। जन सूचना अधिकारी के द्वारा विलम्ब से आयोग के समक्ष अपील प्रस्तुत होने पर आयोग के निर्देश दिनांक 3–7–2006 के अनुसार दिनांक 6–7–2006 को जानकारी उपलब्ध कराई गई। चूंकि जन सूचना अधिकारी के द्वारा द्वेषवश् अथवा जानबूझकर जानकारी उपलब्ध कराने में विलम्ब नहीं किया गया है। अतः पूर्व में जारी किया गया 25,000/– रूपए अर्थदण्ड का कारण बताओ नोटिस निरस्त किया जाता है।

प्रकरण से स्पष्ट है कि पूरी जानकारी जन सूचना अधिकारी के द्वारा निर्धारित अवधि में उपलब्ध नहीं कराई गई। अतः उन्हें भविष्य के लिए सचेत किया जाता है कि सूचना का अधिकारी अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों पर निर्धारित अवधि के अंदर गंभीरता के साथ जानकारी उपलब्ध करावें।

अतः समस्त तथ्यों को विचार करते हुए अपीलार्थी की अपील अस्वीकार किया जाता है।

(ए. के. विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त